

फर्द डिग्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी  
मनोहरस्थाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 24/दावा/17

तारीख दायरा 10.3.2017

उनवान

1. कालूलाल पुत्र नाथू मेहर निवासी खेरखेडी माता उर्फ मेडी वाला पुरा हाल मुकाम सुगर तहसील खानपुर जिला झालावाड
2. फूलचन्द उर्फ मूलचन्द पुत्र नाथू मेहर निवासी मेडी वाला पुरा/खेरखेडी माता तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड।

—वादीगण


बनाम

1. बालाबक्स पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी मेडी वाला पुरा/खेरखेडी माता तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड।
2. लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी मेडी वाला पुरा/खेरखेडी माता तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड।


— प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वारते इन फिसाल कतई रूबरू गुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री कैलाश चन्द वैष्णव वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :- वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेरखेडी माता तहसील मनोहरस्थाना के माल की खाता संख्या 17 की खसरा संख्या 33 की 0.04 बीघा व खसरा संख्या 99 की 4.09 बीघा कुल 2 किता की 4.13 बीघा आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण दिलाया जावे।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
मनोहरस्थाना, जिला झालावाड

आज दिनांक 23.07.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
मनोहरस्थाना, जिला झालावाड